पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 8439 /अका./का.प./2012 रायपुर, दिनांक 24/09/2012

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1.	डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. (श्रीमती) आभारुपेन्द्र पाल	–	सदस्य
3.	डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	–	सदस्य
4.	डॉ. व्यास नारायण दुबे	–	सदस्य
5.	डॉ. बी. के. शर्मा	–	सदस्य
6.	डॉ. मिताश्री मित्रा	–	सदस्य
7.	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
8.	डॉ. अरविन्द गिरोलकर	–	सदस्य
9.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल	–	सदस्य
10.	डॉ. एम.आई. मेमन	–	सदस्य
11.	डॉ. आर. बाला सुब्रामनियम	–	सदस्य
12.	श्री एस. के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
13.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
14.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
15.	श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.07.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 11.08.2012 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.07.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 11.08.2012 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।**

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.07.2012 एवं 11.08.2012 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णयः **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.07.2012 एवं 11.08.2012 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई तद्नुसार अनुमोदन किया गया। "कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.07.2012 विषयसूची क्रमांक 4 में हुए निर्णय विद्यापरिषद्**

की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.06.2012 विषयसूची क्रमांक 3 में की गई अनुशंसा एम.कॉम. में मौखिकी एवं एम.ए. में लघुशोध वैकल्पिक/मौखिकी के प्रकरण पर औचित्य सहित विस्तृत टीप के साथ पुनः प्रस्तुत करें, तद्नुसार विस्तृत टीप प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।''

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक 23.08.2012, 30.08.2012 एवं 06.09.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक 23.08.2012, 30.08.2012 एवं 06.09.2012 के कार्यवृत्त के संबंध में** विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही का सूचना ग्रहण करते हुए कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

04. पूरक परीक्षा 2012 हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि ₹ 29,40,000/– प्रदान करने हेतु सक्षम स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णयः **पूरक परीक्षा 2012 हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि ₹ 29,40,000/– प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

05. विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान प्रयोगशाला के उन्नयन हेतु राशि ₹ 7,17,232/– (सात लाख सत्रह हजार दो सौ बत्तीस रूपए) की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान प्रयोगशाला के उन्नयन हेतु राशि ₹ 7,17,232/– (सात लाख सत्रह हजार दो सौ बत्तीस रूपए) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।**

06. शासकीय डॉ. खूबचंद बघेल महाविद्यालय, भिलाई–3, को अर्थशास्त्र विषय में शोध केन्द्र की मान्यता संबंधी प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः **शासकीय डॉ. खूबचंद बघेल महाविद्यालय, भिलाई–3, को अर्थशास्त्र विषय में शोध केन्द्र की मान्यता संबंधी प्रकरण पर महाविद्यालय से शिक्षकों की जानकारी प्राप्त होने के बाद प्रस्तुत की जाए।**

07. एम.एस–सी. रसायन शास्त्र विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्व. श्री नरेशचंद्र दुबे, स्मृति स्वर्ण पदक, प्रदान करने एवं विनियम 135 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **एम.एस–सी. रसायन शास्त्र विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्व. श्री नरेशचंद्र दुबे, स्मृति स्वर्ण–पदक प्रदान करने एवं इस हेतु निर्धारित विनियम 135 का अनुमोदन किया गया।**

08. विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को श्रीमती निर्मला दुबे स्वर्ण पदक प्रदान करने एवं विनियम 136 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को श्रीमती निर्मला दुबे स्वर्ण–पदक प्रदान करने एवं इस हेतु निर्धारित विनियम 136 का अनुमोदन किया गया।

09. बी.एड्. में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्व. प्रो. व्ही.पी. शर्मा, स्मृति स्वर्ण पदक, प्रदान करने एवं विनियम 137 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः बी.एड्. में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्व. प्रो. व्ही.पी. शर्मा, स्मृति स्वर्ण–पदक प्रदान करने एवं इस हेतु निर्धारित विनियम 137 का अनुमोदन किया गया।

10. वार्षिक परीक्षा 2012 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य का देयक राशि ₹ 13,75,675/– (रूपये तेरह लाख, पचहत्तर हजार, छः सौ पचहत्तर रूपए मात्र) की भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः वार्षिक परीक्षा 2012 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य का देयक राशि ₹ 13,75,675/– (रूपये तेरह लाख, पचहत्तर हजार, छः सौ पचहत्तर रूपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

11. छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कोरी उत्तर–पुस्तिका मुद्रण कराने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कोरी उत्तर–पुस्तिका का मुद्रण निम्नानुसार की जाए –

मुख्य उत्तर पुस्तिका	**–**	**सोलह लाख**
पूरक उत्तर पुस्तिका	**–**	**बारह लाख**

पूरक विषयसूची

01. एम.बी.ए. में सर्वाधित अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्व. श्री राम आसरे तिवारी, स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान हेतु राशि ₹ 50,000 + 10,000/– विश्वविद्यालय कोष में जमा किये जाने की सूचना ग्रहण करना एवं विनियम क्रमांक 138 का अनुमोदन करना।

निर्णयः एम.बी.ए. में सर्वाधित अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्व. श्री राम आसरे तिवारी, स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान हेतु राशि ₹ 50,000 + 10,000/– विश्वविद्यालय कोष में जमा किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए इस हेतु निर्धारित विनियम क्रमांक 138 का अनुमोदन किया गया।

02. विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए UGC-SAP द्वारा Accelerated Solvent extraction system क्रय किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए UGC-SAP द्वारा Accelerated Solvent extraction system क्रय किये जाने हेतु रू. 17,21,200/– की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

03. विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए UGC-SAP द्वारा Zetasizer क्रय किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए UGC-SAP द्वारा Zetasizer क्रय करने हेतु रू. 23,00,000/– की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

04. विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.08.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.08.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन भवनों का मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो गया है उनका परीक्षण शीघ्रताशीघ्र लोकनिर्माण विभाग से करा ली जाए।

भवन निर्माण के संबंध में अन्य प्रतिष्ठित एजेंसी से भी संपर्क किया जाए।

<u>अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण</u>

01. वित्तीय सत्र 2007–08 एवं 2008–09 में अंकेक्षण शुल्क के रूप में 14,97,921/– भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

02. कांति दर्शन महाविद्यालय, कोसानगर, भिलाई में प्राचार्य पद के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसानुसार डॉ. ओम शंकर गुरू के नाम का अनुमोदन किया गया।

03. गोल्ड मैडल के लिए उत्सुक दान–दाताओं को विश्वविद्यालय में अन्य कार्यों के लिए दान देने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

04. स्नातक स्तर पर पर्यावरण विषय के संबंध में व्यावहारिक कठिनाईयाँ होती है, अतः इस हेतु समस्त कठिनाइयों का जिक्र करते हुए प्रस्ताव सुझाव सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को भेजी जावे। इसके लिए प्रस्ताव सुझाव सहित तैयार करने के लिए

कार्यपरिषद् सदस्य सर्वश्री डॉ. अरविंद गिरोलकर, डॉ. एम.आई. मेमन एवं डॉ. दीपक कारकून को अधिकृत किया गया।

05. कार्यपरिषद् के सदस्य सर्वश्री डॉ. उज्ज्वल पाटनी एवं श्री अशोक लोहिया का कार्यकाल दिनांक 22.09.2012 को समाप्त हो रहा है। कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में उनके योगदान की सराहना की गई। दोनों सदस्यों की उपस्थिति में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए जिसमें उनका पूर्ण योगदान रहा। कार्यपरिषद् उनके कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है एवं आशा करता है कि भविष्य में भी उनका इसी प्रकार सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 8440/अका./का.प./2012 रायपुर, दिनांक 24/09/2012

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी (अका.)